भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2512

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय:- कृषि वस्तुओं पर सब्सिडी

2512. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि वस्तुओं पर नकद अथवा प्रत्यक्ष सब्सिडी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या अमेरिका और दूसरे विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में किसानों के लिए सब्सिडी बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): जी हां। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को जारी रखने के लिए अनुमोदन दिया है। पीएम-आशा की एकीकृत योजना खरीद कार्यों के कार्यान्वयन में अधिक प्रभावशीलता लाने के लिए है, जो न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करके आवश्यक वस्तुओं की कीमत में उतार-चढ़ाव को भी नियंत्रित करेगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मूल्य समर्थन योजना **(पीएसएस)**, मूल्य घाटा भुगतान योजना **(पीडीपीएस)**, बाजार हस्तक्षेप योजना **(एमआईएस)** के घटकों के साथ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को कार्यान्वित करता है। पीएसएस, पीडीपीएस और एमआईएस का विवरण और उनके कार्यान्वयन का तरीका इस प्रकार है:-

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) आदि जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से निर्धारित अवधि के भीतर सीधे एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए तब कार्यान्वित की जाती है जब इन वस्तुओं का बाजार मूल्य चरम कटाई अवधि के दौरान अधिसूचित एमएसपी से नीचे चला जाए, बशर्ते कि उनकी उपज निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के अनुरूप हो, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा सके। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात

पर निर्भरता कम करने के लिए पीएसएस के तहत तुअर, उड़द और मसूर की मौजूदा खरीद की अधिकतम सीमा को वर्ष 2023-24 के लिए हटा दिया गया था और इसे वर्ष 2024-25 के लिए भी आगे बढ़ा दिया गया है।

मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीडीपीएस) में पूर्व-पंजीकृत किसानों को निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों वाली तिलहन की फसल पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में बेचने पर एमएसपी और अधिसूचित बाजार में बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच के मूल्य के अंतर का सीधा भुगतान एमएसपी मूल्य के 15% (2% प्रशासनिक लागत सहित) तक किया जाता है। हालांकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास विशेष वर्ष/मौसम के लिए विशेष तिलहन की फसल के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) या पीडीपीएस को कार्यान्वित करने का विकल्प होता है। भारत सरकार विशेष तिलहन के राज्य उत्पादन की 40% तक की मात्रा के लिए समर्थन देती है।

एमआईएस को विभिन्न जल्दी खराब होने वाले कृषि/बागवानी उत्पादों जैसे टमाटर, प्याज और आलू आदि की खरीद के लिए नैफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा निर्धारित एफएक्यू मानदंडों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कार्यान्वित नहीं होता है। इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर तब कार्यान्वित किया जाता है, जब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पिछले सामान्य मौसम की दरों की तुलना में बाजार में कीमतों में कम से कम 10% की कमी हो जाती है और राज्य और केंद्र 50:50 के अनुपात में कुल नुकसान को वहन करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं ताकि किसानों को उनकी उपज की मजबूरन बिक्री करने के लिए बाध्य न होना पड़े। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, केंद्र और राज्य के बीच घाटे को 75:25 के आधार पर साझा किया जाएगा। यह योजना राज्य के कुल उत्पादन के 25% के सापेक्ष कार्यान्वित होगी जिसमें खरीदी गई वस्तु की लागत और अनुमत ऊपरी व्यय शामिल हैं।

सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एफसीआई के परामर्श से विभिन्न प्रकार के पोषक अनाज (मिलेट्स) और मोटे अनाज इस सीमा तक खरीदे जाते हैं कि संबंधित राज्य सरकार इनका उपयोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरण के लिए कर सकें। इसके अलावा, सरकार द्वारा कपास और जूट की खरीद क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय जूट निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है। परिणामस्वरूप, पूरा बाजार इस खरीद प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए बाजार हस्तक्षेप के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है जो एमएसपी के तहत विभिन्न अधिसूचित फसलों के लिए बाजार को ऊपर की ओर ले जाता है।

(ग) एवं (घ): अमेरिका जैसे विकसित देशों में कृषि जोत का आकार भारत के बराबर नहीं है और किसानों की संख्या भी भारत की तुलना में बहुत कम है। इसलिए, हमारे किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की तुलना अमेरिका जैसे विकसित देशों से करना उचित नहीं होगा।

*****